पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/ फार्म–अनु0/2012–13/दे0दून

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
देहरादून ::दिनांक::23 फरवरी, 2013

समस्त डिप्टी कमिश्नर, (कर–निर्धारण)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (खण्डाधिकारी)
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।

परिपत्र

शासन द्वारा दिनांक 01–03–2013 से राज्य की सीमाओं पर स्थित वाणिज्य कर विभाग की जांच चौकियाँ समाप्त कर सचलदल इकाईयों के रूप में नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–48-क सपठित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 26(ग)(दो)(क) में प्राविधानित किया गया है कि राज्य की सीमाओं से माल सहित प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन चालक/आयातक को वाहन में लदे माल की ऑनलाईन घोषणा विभागीय वेबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर Trip Sheet के माध्यम से करना अनिवार्य है। व्यापारी/ट्रांसपोर्टरों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कर निर्धारण कार्यालयों द्वारा फार्म–16 जारी करते समय उक्त प्रावधानों का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है।

1– कर–निर्धारण कार्यालयों द्वारा (9.5 x 6.5 से0मी0) की एक मुहर बनायी जायेगी जिसमें निम्न सन्देश/सूचना मुद्रित की जायेगी।

> **कृपया ध्यान दें/Attention Please**
>
> आयातक/ट्रांसपोर्टर/विक्रेता व्यापारी यह सुनिश्चित कर लें कि आयात किये जाने वाले समस्त माल की घोषणा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश से पूर्व वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर online trip sheet के रूप में अनिवार्य रूप से कर दी गई है।
>
> Importers/Transporters/Sellers are requested to please declare the details of goods to be imported before entering the state, on the website of Commercial Tax Department, Uttarakhand through online trip sheet.

2– करदाता/व्यापारियों को फार्म–16 जारी करने से पूर्व कर निर्धारण कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक फार्म–16 के पृष्ठ भाग पर (तीनों प्रतियों में) यह मुहर लगायी जायेगी।

दिये गये निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(सौजन्या)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4937 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन।

3– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।

क्रमशः पेज–2

903
27/02/13

4937
23/02/2013

4– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने क्षेत्र के अधिकारियों/बार एसोसियेसन/ उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– श्री रोशन लाल, डि0कमि0(क0नि0)–3, देहरादून/वैब ऑफिसर को वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

7– मुख्यालय के संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति स्कैन करके उद्योग, व्यापार एवं बार के प्रतिनिधियों को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

8– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

9– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

10– दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14 आढ़त बाजार, देहरादून।

11– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222/5 गाँधी ग्राम, देहरादून।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।